(11)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2751—दो/2013 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 07—08—2013 के द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 419/अपील/2010—11

.....

1— जगन्नाथ आ0 श्री सुखराम
2— प्रेमसिंह आ0 श्री सुखराम
निवासीगण— ग्राम गोदी,
तहसील आष्टा, जिला सीहोर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती रेशम बाई पत्नी श्री गुलाब सिंह,पुत्री श्री रामसिंह
निवासी— ग्राम शेखपुरा,तहसील काला पीपल,
जिला — शाजापुर,(म0प्र0)

..... अनावेदिका

.....

श्री प्रेमसिंह ठाकुर, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदक पूर्व से एक पक्षीय है

.....

आदेश

(आज दिनांक 25.10. 2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 07—08—2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगें जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि आवेदकगण द्वारा ग्राम गोदी तहसील आष्टा, जिला—सिहोर स्थित विवादित भूमि खसरा क्र0 333/1 रकबा 0.26 एकड़ भूमि सिद्धनाथ से क्रय कि गई। भूमि क्रय करने के उपरांत आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष नामांतरण की कार्यवाही की गई । नामांतरण कि कार्यवाही के दौरान देवकरण एवं भूरीबाई द्वारा नामांतरण के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत की गई । अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण में

प्रस्तुत आपत्तियों पर नियमानुसार विचार करने के उपरांत आदेश दिनांक 24.08.2009 के द्वारा उक्त भूमि पर आवेदकगण का नामांतरण करने के आदेश दिये गये । तहसील न्यायालय द्वारा की गई नामांतरण की कार्यवाही के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 56/अपील/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 09.03.2011 के द्वारा निरस्त की गई । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा द्वितीय अपील न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई। जहॉ प्रकरण क्रमांक 419/अपील/2010–11 पर पंजीबद्ध किया गया एवं दिनांक 07.08.2012 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा के द्वारा पारित आदेश निरस्त किया गया एवं अनावेदिका के हित में आदेश पारित किया । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि विवादित भूमि आवेदकगण ने पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा क्रय की है तथा अधीनस्थ तहसील न्यायालय ने प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में आवेदकगण का नाम दर्ज किया है। तथा इस सबन्ध में अनावेदिका के अतिरिक्त अन्य भूमिस्वामियों को कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार किये बिना ही विवादित आदेश पारित करने में गभीर त्रुटि की है। अनावेदिका द्वारा अपील प्रकरणों में विवादित भूमि से सबंधित व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया गया था। जबकि प्रकरण के उचित निराकरण हेतु विवादित भूमि से सबंधित व्यक्तियों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण वैधानिक बिन्दु पर विचार किये बिना ही विवादित आदेश पारित करने में त्रुटि की है। विधि का यह मान्य प्रावधान है कि प्रकरण में अन्तिम आदेश पारित करने से पूर्व हितबद्व पक्षकारों को प्रकरण कि कार्यवाही के सबन्ध में नियमानुसार सूचना दिया जाना आवश्यक है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचारधीन कार्यवाही किये जाने से आवेदकगण को नियमानुसार सूचना पत्र कि तामीली नहीं कराई गयी। उन्होंने भी यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने फर्जी सूचना पत्रों कि तामीली के आधार पर विवादित कार्यवाही करने में त्रुटि की है। विधि का यह मान्य सिद्वान्त है कि वरिष्ठ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अन्तिम आदेश पारित करने से पुर्व प्रकरण के मुल रिकार्ड का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित करने से पुर्व न तो विचारण न्यायालय के रिकार्ड को आहूत किया गया और ना ही प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों

का ही अवलोकन किया । रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को शुन्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार केवल व्यवहार न्यायालय को है तथा व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदकगण के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र को शून्य घोषित नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायिक एवं बोलता हुआ आदेश नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनके द्वारा किन आधारों पर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को अवैधानिक माना गया है । ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश विधि के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदिका सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक अभिभाषकता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालय के अभिलेख का भलीभांति परिशीलन किया गया। यह निंविवाद तथ्य है कि विवादित भूमि सर्वे नं0 333/1 रकबा 0.26 एकड़ सिद्धनाथ सिंह, शीतल सिंह, अचरज बाई, भूरीबाई रमेश पुत्र एवं पुत्री रामसिंह के संयुक्त खाते की थी। प्रकरण में विक्रय केवल खातेदार सिद्धनाथ सिंह द्वारा सम्पादित कराया गया, न तो सहखातेदारों की सहमति ली गई और न ही पारिवारिक बटवारा हो चुका है, ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में यह अवश्य है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने सभी पक्षकारों को सहखातेदारों को आहूत किया गया, किन्तु न तो कोई साक्ष्य ली गई और न ही विक्रेता को भूमि बटवारे में प्राप्त हुई हो या साक्ष्य का अवसर दिया गया । इसी कारणवश अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा द्वारा पारित किये गये आदेश को स्थिर नहीं रखा जा सकता । सहखातेदारों का सभी भूमि पर समान रूप से अधिकार होता है । विक्रेता अपने स्वतव की भूमि विक्रय कर सकता है किसी विशेष सर्वे नम्बर को विक्रेता को बिना बटवारे के विक्रय का अधिकार नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि के विपरीत होने से निरस्त किया जाता है । इस स्तर पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल ने अपने आदेश में विस्तृत विवेचना करते हुये अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया है । मैं अपर आयुक्त भोपाल के द्वारा निकाले गये निष्कर्ष से सहमत हूँ ।

6 / उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.08.2012 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है। तत्पश्चात प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर